



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या - 1109 सन् 2026

विश्वंभर शाही और एक और

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

....उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : लाल मणि सिंह
उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, उत्तरदातागण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री सुधीर भारती, उत्तरदाता संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहां पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, विपक्षी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यद्यपि, यदि विपक्षी आदेश से व्यथित महसूस करता है तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने के उसके अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि उत्तरदाता संख्या 2/उप जिलाधिकारी, पडरौना, जिला कुशीनगर को उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अधीन वाद संख्या 17087 सन् 2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202505440117087 को निर्धारित अवधि के भीतर तय करने का निर्देश देना है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अधीन निहित प्रावधानों के अनुसार, इस तरह के आवेदनों पर समयबद्ध अवधि के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार है: -

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"(7) इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही, उप जिलाधिकारी द्वारा, आवेदन की दिनांक से, यथासम्भव तीन महीने के भीतर समाप्त कर ली जाएगी।

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपरोक्त समय अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

6. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है जिसमें उत्तरदाता संख्या 2 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अधीन निहित प्रावधानों के अनुसार यदि कोई विधिक बाधा न हो ते उपरोक्त मामले का निर्णय करने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,)

फरवरी 10, 2026
प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"